



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

दूरभाष : 06553-261555 (0)

Email : dc-ramgarh@gov.in

(प्रमाण पत्र)

पत्रांक...../क०,

दिनांक...../...../2022

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-नईसराय डी०भी०सी०, रामगढ़ सब स्टेशन से Military Engineering Services (MES), रामगढ़ Cantoment तक 33 के०बी० सिंगल टांसमिशन लाईन निर्माण हेतु, प्राप्त प्रस्तावित भूमि के उपयोजन हेतु ग्रामसभा की गई है, जिसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ग्राम/थाना सं०	खाता	प्लॉट	अधिसूचित वन भूमि (ए० में)	गैरमजूरूआ जंगल झाड़ी (ए०में)	रकबा (ए० में)
1	ग्राम-नईसराय डी०भी०सी०, रामगढ़ सब स्टेशन से Military Engineering Services (MES), रामगढ़ Cantoment तक 33 के०बी० सिंगल टांसमिशन लाईन निर्माण हेतु	नईसराय/145	1	1	—	0.825	0.825
				20	—	0.223	0.223
				41	—	0.511	0.511
				63	—	0.251	0.251
		रामगढ़/82	2	3	—	0.535	0.535
कुल-2.345 ए० (0.950 हेक्टर)							

- उपयुक्त वनभूमि जो ग्राम-नईसराय डी०भी०सी०, रामगढ़ सब स्टेशन से Military Engineering Services (MES), रामगढ़ Cantoment तक 33 के०बी० सिंगल टांसमिशन लाईन निर्माण हेतु, ग्राम नईसराय का रकबा 1.81 ए० एवं ग्राम-रामगढ़ 0.535 ए० कुल 2.345 ए० (0.950 हेक्टर) गैरमजूरूआ जंगल झाड़ी भूमि में निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी के मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement Of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा। मातृभाषा में ग्राम सभा को व्यस्थापित कर दी गई है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि उपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
- प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा(1)(c) के अनुसार विशेष रूप के रक्षित किया गया है।

62

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जानेवाली सुविधाओं से संबंधित यनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत यननिवासी (यनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

ह०/-

उपायुक्त,

रामगढ़।

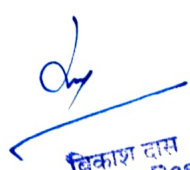
- ज्ञापक 842/क०, रामगढ़, दिनांक 06/04/2022
- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

हाथवीक्षिप्त

06.04.2022

उपायुक्त,

रामगढ़।


बिकाश दास
Bikash Das
उप मुख्य अभियंता (वि०)
Dy. Chief Engineer (E),
टीएससी-IV, दाघानि, हजारीबाग
TSC-IV, DVC Hazaribagh